Email: cswriavikanagar@yahoo.com
nरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

**F.No.6(204)SP/2009/V.III/** **Dated-08-07-2019**

## NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग/बाईडिंग से संबंधित कार्य अनुबन्ध (जॉब कोन्टेक्ट) के आधार पर at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

### CRITICAL DATE SHEET

| | |
|---|---|
| Tender No. | **F.No.6(204)SP/2009/V.III/** |
| Date and Time for issue/Publishing | 08-07-2019 at 3.00 PM |
| Document Download/Start date and time | 09-07-2019 at 3.00 PM |
| Bid Submission Start Date and Time | 09-07-2019 at 3.00 PM |
| Bid Submission End Date and Time | 30-07-2019 at 3.00 PM |
| Date and Time for Opening of Bids | 31-07-2019 at 3.00 PM |
| Tender fee and Earnest money<br>Security money | Tender fee – Rs.500/-<br>Earnest money Rs.18000.00<br>Security money – 5 % of contract amount |
| Bank detail | ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable<br>State Bank of India<br>Branch – Malpura Tonk Rajasthan |
| Address for Communication | Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501 |

# Chapter I- Instruction to bidders

1- **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4- The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5- **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
6- Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.
7- **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of **"ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura"**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8- **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 18,000/- (Rupees Eighteen Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of thecontract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on orbefore last date / time of Bid Submission.**

a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.

9- **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10- **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

**The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.**

**11- Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:

1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST registration. If not applicable an under taking in this regard should be given on 50/100 rupees stamp paper duly attasted by Notery Public.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee and E.M.D.
6. Tender acceptance letter (Annexure I)
7. Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer (S&P)

# Chapter II- Scope of Work

**संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो में प्रयुक्त हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग/बाईडिंग व मोटर डालने/निकालने से संबंधित कार्य<u>अनुबन्ध (जॉब कोन्टेक्ट) के आधार पर करने कि नियम व शर्ते</u>**

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने से एक व ा तक रहेगी। कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। कार्य संतो ाजनक रहने पर कार्य अवधि एक व ा तक आगे बढाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतो ाजनक रहा तो अनुबन्ध नि िचत समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही सबमर् िबल पम्पों के मरम्मत मामले में पुराने वित्तीय व ा में हुए मरम्मत कार्यो के आधार पर गणना की जावेंगी एवं जिस आईटम का पिछले वित्तीय व ा में एक बार भी कार्य नहीं हुआ हो उसे इकाई माना जावेगा। जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा।

   पिछले वित्तीय व ा में हुए कार्यो का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| *संस्थान के विभिन्न सैक्टरों एवं फील्ड में स्थापित सबमर्सिबल पम्पमोटर/मोनो ब्लौक/जैट मोटर इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिवाइडिंग/रिपेयर से संबंधित कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामानों/पार्टस* | | |
|---|---|---|
| **क.सं** | **नाम वस्तु** | **संख्या** |
| 1. | सबमर्सिबल पम्प मोटर निकालने व पुनः डालने का कार्य | 18 |
| 2. | सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (5HP/3 PH /8-10Stage) | 18 |
| 3. | सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /8-17Stage) | 1 |
| | *मोटरों में रिपेयर हेतु प्रयुक्त सामान* | |
| 4. | एम्पलुअर की सर्विस व फिटिंग | 17 |
| 5. | एम्पलुअर सैट (प्रति सैट) | 11 |
| 6. | बियरिंग | 05 |
| 7. | थ्रस्ट बैयरिंग प्लेट | 03 |
| 8. | शाफट,बु ा सैट | 15 |
| 9. | क्लच, प्लैट | 1 |
| 10. | लैंथ वर्क फॉर शॉफ्ट | 14 |
| 11. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (5HP/3PH/440vatt) | 02 |
| 12. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (7.5HP/3 PH /440Vatt) | 1 |
| 13. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (10HP/3 PH /440Vatt) | 02 |
| 14. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (15HP/3 PH /440Vatt) | 1 |
| 15. | बियरिंग | 1 |
| 16 | ऑयल सिल | 18 |
| 17. | ग्लैन डोरी | 1 |
| 18. | ग्रिसिंग | 20 |
| 19. | लैथं वर्क फोर शॉफट | 1 |
| 20. | कनैक ान प्लेट | 1 |
| 21. | PVCफैन ब्लैड फोर मोटर | 1 |
| 22. | क्लच प्लेट | 06 |

**<u>नोट – उपरोक्त टेबल मे दिया गया विवरण केवल वित्तीय तुलानात्मक विवरण तैयार करने के उददे य से दिया जा रहा है तथा इस मात्रा का वर्तमान अनुबन्ध कार्य से कोई संबंध नहीं है यह आव यकतानुसार घट–बड सकती है।</u>**

3. जलापूर्ति करने एवं उससे संबंधित रख–रखाव करने से संबंधित कार्य अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के लिये निविदादाता के पास 02 व ा या उससे अधिक सरकारी/अर्द्वसरकारी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव आव यक है।
4. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण, समय से पूर्व छोड़ने पर, असंतो ाजनक रहने अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की ि ाथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से रा ि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत रा ि जब्त करली जावेगी।
5. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत रा ि जब्त कर ली जावेगी।

6. संस्थान के ट्यूबवेलों मे से पीने के पानी की सप्लाई हेतु 6 पम्प काम में लिये जा रहे हैं, अगर पम्पों की संख्या ज्यादा होने पर भी इन सभी को रात–दिन बिजली रहते चलाना होगा।
7. बिसलपुर के पानी की सप्लाई हेतु बने सेम्पवेल जिसमें बिसलपुर का पानी आता है, उससे पीने के पानी की सप्लाई करनी होगी।
8. संस्थान के आवासीय मकानों में सुबह– ााम तथा गैर आवासीय भवनों में आव यकतानुसार पानी स्पलाई करना होगा।
9. सेक्टर नं. 9 पर बने नव निर्मित किसान घर, कच्चाबन्धा एरिया, पशु स्वास्थ्य विभाग, केन्दीय विद्यालय, प्लांन्ट, कैन्टीन, गैस्टहाउस, पी.जी. हॉस्टल, मांस विज्ञान, वर्क ााप आदि में आव यकतानुसार जलापूर्ति करनी होगी।
10. संस्थान के सभी कृ ि कार्य एवं पीने के पानी के ट्यूबवेल के सबम र्िबल पम्प, बूस्टर आदि के खराब होने पर मोटर निकालना व मरम्मत के बाद वापस डालना होगा। सबम र्िबल पम्प की मरम्मत का कार्य संस्थान द्वारा करवाया जावेगा।
11. पम्पों पर बिजली स्पलाई खराब होने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को सूचित कर ठीक करवाना होगा।
12. **मोटर, पम्प व बुस्टर यथा ीघ्र ठीक करवाना होगा व प्रत्येक मोटर, पम्प व बुस्टर पर रिवांईडिंग/रिपेयर पर कम से कम 15 दिवस की वारंटी देय होगी। यदि इन प्रन्द्रह दिवस के पहले मोटर, पम्प व बूस्टर खराब होने की स्थिति में रिवांईडिंग/रिपेयर तथा मोटर, पम्प व बूस्टर को निकालने व डालने का खर्च ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।**
13. वाटर स्पलाई हेतु आव यकतानुसार नि िचत समय अवधि में वाल्व खोलना एवं बन्द करना होगा, सप्लाई वाल्स खराब होने पर सम्पदा अनुभाग के िकायत पंजिका में िकायत करना होगा। समय पर वाल्व ठीक कराना होगा।
14. सभी सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टेंक) एवं ओवरहेड टेंकों की वर्ष में दो बार खाली कर सफाई करनी होगी।
15. सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टेंक) में हर माह के प्रथम शनिवार को उचित अनुपात में लाल दवा (पोटे ियम परमेगनेट) डालनी होगी जिसके लिये प्रभारी, आई0ई0यू0 या उनके प्रतिनिधियों व प्रभारी, मानव चिकित्सालय या उनके प्रतिनिधि से दि ानिर्दे । प्राप्त करने होगें।
16. वाटर सप्लाई के सभी पम्प, पम्प हाउस, विद्युत मोटर, विद्युत पेनल, सप्लाई वाल आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा। चोरी होने पर इनकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जावेगी।
17. वाटर सप्लाई के सभी वाटर पम्प चलाने एवं मरम्मत व रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। मरम्मत कार्य हेतु वाहन एवं मरम्मत में लगने वाला खर्च संस्थान का होगा।
18. अनुबन्धकर्ता को पम्प हाउस वाल्व एवं ओवरहेड टेंक के आस–पास खरपतवार की पूर्ण सफाई करनी होगी।
19. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता जलापूर्ति से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य प्रभारी, आई0ई0यू0 अथवा प्रतिनिधि के निर्दे ानुसार करना होगा।
20. जलापूर्ति से संबंधित बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
21. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे । प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ा–निर्दे ानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नही होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
22. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ि ष्टता का व्यवहार करना होगा।
23. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। EPF/ESI के पिछले भुगतान की चालान की प्रति अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
24. संबंधित वित्तीय व ि में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Goods & Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
25. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
26. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। उनकी वर्दी/जूते/नाम पट्टिका व आव यक टूल्स उपलब्ध कराना होगा। उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत

अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

27. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी।
28. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
29. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
30. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
31. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
32. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
33. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप य अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
34. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
35. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

प्रा ाासनिक अधिकारी, क्रय एवं भण्डार

# Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 100/-** along with the **Security Deposit @5% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency onaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c IEU, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.

17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge Unit on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative Officer (S&P)

**Annexure - I**

# भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

## तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

मांकः **6(204)SP/2009/V.III/** दिनांकः 08.07.2019

## <u>निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)</u>

| . सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित कार्य की मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो में प्रयुक्त हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग/बाईडिंग व मोटर डालने/निकालने से संबंधित कार्यका अनुबन्ध (जॉब कोन्टेक्ट) | एक व र्ा |

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द ार्यी गई सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द ार्ये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द ार्यी गई दरों पर **संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो में प्रयुक्त हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग/बाईडिंग व मोटर डालने/निकालने से संबंधित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के म में रेट कोन्टेक्ट/जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूं। मैं यह वचन देता हूं कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द ार्ये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द ार्यी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कु ालता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत/सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

**Annexure - II**

# NON BLACKLISTING CERTIFICATE

*[To be submitted on letterhead]*

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

## भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

### तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

मांकः6(204)SP/2009/V.III/ दिनांकः 08.07.2019

**<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>**

संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो में प्रयुक्त हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिपेरिंग/बाईडिंग व मोटर डालने/निकालने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने की दर सभी करों एवं खर्चो सहित निम्नानुसार है–

सारणी–1

| . सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित कार्य की मात्रा | दर प्रति माह सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्थान में जलापूर्ति करने, इससे सम्बन्धित रख–रखाव करने एवं विभिन्न सैक्टरों पर स्थापित कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यो के साथ में उपयोग हो रही सबमर्सिबल पम्प मोटरों/मोनो ब्लोक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के रख–रखाव से संबंधित कार्यका अनुबन्ध (जॉब कोन्टेक्ट) | एक वर्ष | Rs.__________ रुपये ____________________ |

सारणी–1

*संस्थान के विभिन्न सैक्टरों एवं फील्ड में स्थापित सबमर्सिबल पम्पमोटर/मोनो ब्लौक/जैट मोटर इत्यादि के जल जाने/खराब होने की स्थिति में रिवाइडिंग/रिपेयर से संबंधित कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामानों/पार्टस की रेट/दर निम्नानुसार है –*

| क.सं0 | नाम वस्तु | संख्या | दर प्रति नग |
|---|---|---|---|
| 1. | सबमर्सिबल पम्प मोटर निकालने व पुनः डालने का कार्य | 18 | रू. |
| 2. | सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (5HP/3 PH /8-10Stage) | 18 | रू. |
| 3. | सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /8-17Stage) | 1 | रू. |
| | *मोटरों में रिपेयर हेतु प्रयुक्त सामान* | | |
| 4. | एम्पलुअर की सर्विस व फिटिंग चार्ज | 17 | रू. |
| 5. | एम्पलुअर सैट (प्रति सैट) | 11 | रू. |
| 6. | बियरिंग | 05 | रू. |
| 7. | थ्रस्ट बैयरिंग प्लैट | 03 | रू. |
| 8. | शाफट,बुश सैट | 15 | रू. |
| 9. | क्लच, प्लैट | 1 | रू. |
| 10. | लैंथ वर्क फॉर शॉफ्ट | 14 | रू. |
| 11. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (5HP/3PH/440vatt) | 02 | रू. |
| 12. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (7.5HP/3 PH /440Vatt) | 1 | रू. |
| 13. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं (10HP/3 PH /440Vatt) | 02 | रू. |
| 14. | मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिगं(15HP/3 PH /440Vatt) | 1 | रू. |
| 15. | बियरिंग | 1 | रू. |
| 16 | ऑयल सिल | 18 | रू. |
| 17. | ग्लैन डोरी | 1 | रू. |
| 18. | ग्रिसिंग | 20 | रू. |
| 19. | लैथं वर्क फोर शॉफट | 1 | रू. |
| 20. | कनैक्शन प्लेट | 1 | रू. |
| 21. | PVCफैन ब्लैड फोर मोटर | 1 | रू. |
| 22. | क्लच प्लेट | 06 | रू. |

नोट – उक्त दरें बी.ओ.क्यू. सीट में भरनी है।

दिनांक––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.